Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 17-08-2006

Participants : Munshiram Shri

>

Title : Inclusion of some castes belonging to OBC category into SC category in Uttar Pradesh.

श्री मुंशी राम (बिजनौर) : देश की आजादी के पश्चात बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर द्वारा देश में समानता से पूरे देशवासियों को आजादी का हक दिलाने हेतु जो जातियां छुआछूत, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से कमजोर थीं, उन्हें समान रूप में लाने के लिए आरक्षण संविधान में (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 के अधीन नियम और आदेश भारत सरकार से कराये, जिसके तहत उ0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां) और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 (उ0 प्र0 अधिनियम सं0 4 सन् 1994) की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल उ0 प्र0, द्वारा संशोधन किया गया, जिसमें निम्न जातियों को पिछड़े वर्ग से निकाल कर उ0 प्र0 की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया, जो कि 31.12.1931 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा निकाले गए श्वेत पत्र में कहार, कश्यप, केवट, मल्हा, निााद, कुम्हार प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर-राज भर जातियों को दलित जातियों की सूची में रखा गया था, जिन्हें भारत सरकार ने पिछड़ी जातियों में रख दिया। उ0 प्र0 सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्र ाशिक्षण संस्थान के द्वारा सर्वेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त जातियां छुआछूत निरक्षर, भूमिहीन एवं इनकी वार्षिक आय रूपए 22000 प्रति वर्ा से कम हैं।

इन हालात में मेरी भारत सरकार से मांग है कि उपरोक्त जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाये, जिससे उपरोक्त जातियां भी उन्नति कर सकें।

SHRI ANWAR HUSSAIN (DHUBRI): Sir, kindly allow me to read my Matter under Rule 377. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER: When I called your name, unfortunately you were not present in the House. Anyway, I allow you now.